बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELLED बीस रुपये TWENTY RUPEES

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर(म.प्र.)

रिवीजन प्र.क्र....../09 R-275-II/09

अरूण कुमार गुप्ता पिता जुगल किशोर गुप्ता

निवासी-म.नं.736, सुभद्रा कुमारी चौहान वार्ड,

नेपियर टाउन, जबलपुर ।

---------------आवेदक/पीटीशनर

वि रू द्ध

1. म.प्र.शासन द्वारा उपपंजीयक जबलपुर

2. उपायुक्त नगर निगम जबलपुर ।

----------------------प्रत्यर्थीगण

रिवीजन धारा अंतर्गत 56 भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899

आवेदक/पीटीशनर माननीय न्यायालय से निम्नलिखित निवेदन करता है:-

(यह कि आवेदक/पीटीशनर न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला जबलपुर, म.प्र. प्रकरण क्र.155/बी 103/2006-07 पक्षकार म.प्र. शासन द्वारा उपपंजीयक जबलपुर विरूद्ध उपनिगमायुक्त नगर निगम व एक अन्य में पारित आदेश दिनांक 30-11-2007 प्राप्ति दिनांक 06-01-09 से दुखित होकर उक्त रिवीजन अंतर्गत धारा 56 भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है।)

तथ्य

1. यह कि पीटीशनर/आवेदक द्वारा प्लाट नं. 156/3ए म.नं. 736 डायवर्सन प्लाट नं.765, डायवर्सन सीट नं.249 क्षेत्रफल 800 वर्गफीट को दिनांक 25 नवंबर 1999 के माध्यम से श्रीमति नीता चावला धर्मपत्नि श्री विमल चावला से क्रय किया गया था ।

2. यह कि आवेदक/पीटीशनर द्वारा उक्त वादग्रस्त संपत्ति का क्रय करने के पश्चात् अनावेदक क्र.2 के कार्यालय में उक्त वादग्रस्त प्लाट का लीज डिड

R 278 II/09 [illegible]

7.8.15 उपरोक्त वाद उपस्थित [illegible] पुकार की गई।

Composition आवेदन पर सुनवाई हेतु

पेशी 9-10-15

[illegible] (हस्ताक्षर)

9.10.15 उपरोक्त वाद [illegible] पुकार की गई।

Complex आवेदन पर सुनवाई हेतु।

पेशी 3-12-15

[illegible] (हस्ताक्षर)

3.12.15 आवेदक निरंतर हाजिर नहीं हो रहे और आज भी उपस्थित नहीं। प्रकरण [illegible] के अभाव में खारिज किया जाता है।

[illegible] (हस्ताक्षर)

अध्यक्ष